International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-2, Issue-4 August- 2015 P-ISSN 2348-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

उच्च शिक्षा का निजीकरण : एक विवेचना

अंशु कुमारी
शोधार्थी
वेंकेटश्वरा विश्वविद्यालय

डॉ0 ऋतु भारद्वाज
शोध निर्देशिका
वेंकेटश्वरा विश्वविद्यालय

प्रस्तावना

वर्तमान अध्ययन का आयोजन शिक्षा का निजीकरण व प्रशासन यह जानने के लिए नियोजित किया गया है निजीकरण व वैश्वीकरण के युग में सरकार द्वारा जिस सहजता से उच्च शिक्षा व्यवस्थापन को निजी हाथों में दे दिया है उससे उच्च शिक्षा स्तर में गिरावट आयी है। हमने यह जानने का प्रयत्न किया है कि क्या निजी क्षेत्र के प्रबन्धक शिक्षा के नैतिक मूल्यों का पालन कर सकते हैं या उन्होंने शिक्षा को एक व्यवसाय बनाकर धनार्जन का सरल साधन बना लिया है। हमने यह भी जानने का प्रयत्न किया है कि उच्च शिक्षा नियामक संस्थाएँ जैसे–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एन0सी0टी0ई0, आई0एम0एस0, विश्वविद्यालय, केन्द्र व राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रालय इन निजी संस्थानों के नियमन व अनुशासन में प्रभावी हैं, क्या उनके आदेशों अक्षरसः पालन होता है, क्या नौकरशाही रवैया व भ्रष्टाचार की जड़े भी इन संस्थानों को प्रभावित कर रही हैं। छात्र व शिक्षक इन संस्थानों के बारे में क्या सोचते हैं इत्यादि।

इन संस्थानों में एम0बी0ए0, इन्जीनियरिंग, मेडिकल, बी0एड0 एवं पारम्परिक उपाधि महाविद्यालयों को लिया है। अध्ययन में शोधार्थिनी ने पाया कि यद्यपि केन्द्र व राज्य सरकार के विभिन्न अभिकरण जिन्हें इन संस्थानों के नियमन हेतु गठित किया गया है वे अपने कार्य में प्रभावी नहीं है। इनके निर्देशनों को अनदेखा किया जाता है तथा नियमों को पूर्णतयः अनदेखा किया जाता है।

इन संस्थानों की स्थापना हेतु कतिपय प्रक्रियायें हैं। बी0एड0 संस्थानों की स्थापना में एन0सी0टी0ई0 के जाँच उपरान्त संस्तुति, विश्वविद्यालय द्वारा जाँच व संस्तुति एवं अंततः राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। इसी प्रकार इन्जीनियरिंग संस्थानों की स्थापना हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 का अनुमोदन आवश्यक है। मेडिकल कॉलेज हेतु एम0सी0आई0 व सामान्य महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम चलाने हेतु विश्वविद्यालय व राज्यपाल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संस्थान खोलने के कई मानक हैं जैसे भूमि, खेल का मैदान क्रीड़ा स्थल, कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, उपकरण, पुस्तकालय तथा शिक्षक लेकिन शोधार्थिनी ने पाया कि अधिकांश संस्थानों में इन मानकों को अनदेखा किया जाता है। यह सब नियत्रंक अभिकरणों के प्रतिनिधियों को लालच देकर सम्भव हो जाता है। प्रश्नावली के माध्यम से शोधार्थिनी ने संस्थानों की वास्तविक स्थिति के बारे में छात्रों व अध्यापकों से जानकारी ही प्राप्त की। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि 70 प्रतिशत विद्यार्थी बुनियादी ढांचे को असन्तोषजनक मानते हैं। बी0एड0 संस्थानों में तो स्थिति यह देखी गयी कि अध्यापक केवल नाम के हैं। शिक्षकों से बायोडाटा ले लिया जाता है तथा उन्हें रूपये 3000 हजार घर ही भेज दिया जाता है। उन्हें विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जाँच हेतु पुस्तकें दलालों द्वारा उपलब्ध करा दी जाती हैं। स्पष्ट है कि बी0एड0 संस्थान पूर्णतयः विकृत व्यवसायिक संस्थान हैं।

अगले क्रम में शोधार्थिनी ने इन्जीनियरिंग, एम0बी0ए0 व अशासकीय संस्थानों को लिया है। अध्ययन क्षेत्र में मैने 47 संस्थानों को अध्ययन विषय बनाया। इनमें भी स्थिति लगभग वैसी ही है। यहाँ भी बुनियादी ढाँचे के प्रति उतना ही सन्तोष है।

शोधार्थिनी के अध्ययनानुसार प्रायः हर संस्थान में स्थाई शिक्षक कम मात्रा में हैं। अधिकांश संस्थान प्रति व्याख्यान की दर पर शिक्षकों को आमंत्रित करते हैं।

प्रायः एम0बी0ए0 व इन्जीनियरिंग संस्थानों में परिसर नियुक्ति हेतु निजी क्षेत्र की कम्पनियों को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन शोधार्थिनी ने देखा कि अधिकांश संस्थानों (आई0एम0टी0 गाजियाबाद, कृष्णा इन्जीनियरिंग कॉलिज व आई0एम0एस0 के अतिरिक्त) इक्की दुक्की महत्वहीन कम्पनियाँ ही आती हैं। अतः नियुक्ति के बारे में इन संस्थानों के द्वारा जो भी दावे किए जाते हैं। वे कभी भी सच नहीं होते।

राज्य सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की स्थिति और खराब है। इन महाविद्यालयों में छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क पिछले 50 वर्ष से वैसा का वैसा है। ये सरकार पर बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन राजनैतिक कारणों से इस शुल्क की वृद्धि नहीं की जा रही है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या साठ निर्धारित थी। उसे बढ़ाकर 80 कर दिया गया था। अब उत्तर

प्रदेश की वर्तमान सरकार ने आरक्षण के मुद्दे को सामने रखकर इसमें 25 प्रतिशत वृद्धि कर दी है। स्पष्ट है कि वे कक्ष जो 60 छात्रों के लिए बने थे उनमें अब 100 से अधिक बैठेंगें जो सम्भव नहीं हैं।

महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं काचयन व नियुक्ति राज्य उच्च सेवा आयोग द्वारा की जाती है। स्थान आवंटन उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। इन दोनों संस्थाओं की निष्पक्षता पर आक्षेपों का बाजार गर्म है। यही कारण है कि नियुक्ति इत्यादि सहित अनेकों प्रकरण उच्च न्यायालय में लम्बित हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि महाविद्यालयों न तो विद्यार्थियों की उपस्थिति सन्तोषजनक सुनिश्चित हो पा रही है और न अध्यापक ही शिक्षण में कोई रूचि प्रदर्शित कर रहे हैं।

शोधार्थिनी के अध्ययन क्षेत्र में स्थित सभी महाविद्यालयों चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। इन सभी महाविद्यालयों में अध्यापन सत्र अत्याधिक खण्डित रहता है। छात्र संघों के निर्वाचन एवं उनके द्वारा आन्दोलनों के कारण करीब चालीस कार्य दिवस नष्ट हो जाते हैं। पूरक परीक्षाएँ, विश्वविद्यालय की अन्य परीक्षाएँ जैसे बी0एड0 इत्यादि के कारण पुनः चालीस कार्य दिवस नष्ट होते हैं। इस प्रकार अध्यापन कार्य दिवसों में से मात्र 100 कार्य दिवस शेष रह जाते हैं।

शोधार्थिनी ने अपने व्यक्तिगत अत्यन्त अल्प साधनों से अध्ययन क्षेत्र से आंकड़े एकत्रित कर इन समस्त बिन्दुओं पर अपने पर्यवेक्षण को प्रस्तुत किया है। शोधार्थिनी का यह भी प्रस्ताव है कि भविष्य में स्पष्टीकरण पर संसाधन उपलब्ध हो जाने पर सरकार व उच्च शिक्षा पर डी0लिट् की उपाधि हेतु प्रयास किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जे0 सी0 अग्रवाल, 'लेन्डमार्क्स' इन द हिस्ट्री ऑफ इन्डियन एजुकेशन विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0 लि0 2004 पृ0 2
2. भारतीय शिक्षाआयोग 1882–83।
3. रिपोर्ट आन वोकेशनल एजुकेशनल इन इण्डिया, द मैनेजर पब्लिकेशन्स दिल्ली 1937।
4. मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन्स दिल्ली–1950।
5. अध्यापकों पर राष्ट्रीय आयोग (1983–85) 2–15.00 उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम।
6. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 22 मार्च 2006
7. सी0एल0 वेपर, पॉलिटिक्ल थॉट पृ0 30, आई0बी0 पब्लिकेशन्स, दिल्ली 1983।
8. अमर उजाला, दिनांक 15 मई 2006 मेरठ।